न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

एल0सी0 वाद संख्या– 01/2018–2019

मे0 लुकमान मिया बनाम् सोबरालम बीबी एवं अन्य

आदेश

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित किया गया।	

आवेदक लुकमान मिया उर्फ लुकमान अंसारी वल्द स्व0 नन्हक मिया ग्राम – खपरो पो0 रंका थाना रंका वो अंचल, रंका जिजला– गढ़वा के दिये गये आवेदन पत्र पर भू–हदबंदी वाद सं0– 01/2018–19 यह वाद प्रारम्भ किया गया। यह वाद में विपक्षी सोबरालम बीबी अन्य कायम जाति मुस्लिम ग्राम– खपरों थाना वो अंचल, रंका के नाम से केवाला सं0– 1579/1571 दिनांक 14.06.2018 द्वारा क्रय की गई है। भूमि ग्राम खपरों के खाता सं0– 44 पुराना, नया–07, प्लॉट– पुराना– 541, नया–1082 रकबा– 0.18$\frac{1}{4}$ ए0 एवं खाता सं0– 44 पुराना, नया– 07 , प्लॉट– पुराना– 560, नया– 1546 रकबा– 0.30$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि के विरूद्व में आवेदक द्वारा इस कार्यालय में अपील दायर किया है नोटिस के उपरांत दोनों पक्ष का विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। लिखित जवाब समर्पित किया गया, जिसका अवलोकन भी किया गया। अंचल अधिकारी, रंका का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें विधिवत अवलोकन के पश्चात पाया कि ग्राम– खपरों के खाता सं0– 07 प्लॉट 1546, 108 वो अन्य कुल रकबा– 5.67 ए0 भूमि का हाल सर्वे खतियानी रैयत अबदुल मियां वगैरह के नाम से समिलात में है। केवाला सं0– 1571 दिनांक 14.06.2018 के माध्यम से सोबरालम बीबी पति फेयाजुल अंसारी ग्राम– खपरों ने मैरूण बीबी पति जमरूदीन अंसारी एवं मांगधारी के पत्नि एवं बेटी से बिक्री की गई है। भूमि पर विपक्षी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा प्लॉट 1546 में मकान भी अवस्थित है उसी में सपरिवार निवास करते है।

इन्हे कभी भी हटाया नही जा सकता है। अंचल अधिकारी, रंका के प्रतिवेदन के अनुसार उपस्थित ग्रामीणों से पुछ–ताछ के कम में उल्लेख किया गया है कि आपतिकर्ता यानि लुकमान मियां उर्फ लुकमान अंसारी वल्द स्व0 नन्हक मियां द्वारा उक्त भूमि की क्रय करने से कभी इच्छा प्रकट नही किया गया, तथा क्रेता के नाम से उक्त भूमि निबंधन कराने के उपरांत अपील दायर किया गया।

अतः न्यायालय अब इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इस वाद में संलग्न कागजातों एवं अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 322 दिनांक 13.08.2021 के जॉच प्रतिवेदन के अवलाकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक मो0 लुकमान अंसारी का अपील आवेदन पत्र चलने योग्य (Maintainable) नहीं है। तथा विपक्षी के पक्ष में उक्त भूमि का नियमानुसार नामांतरण की कार्रवाई करने हेतु अंचल अधिकारी, रंका को आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, रंका को आदेश निर्गत करें। इसके साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

13/08/21

उप समाहर्ता भूमि सुधार,
रंका।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2022.10.20 00:46:36 -07:00
Location: 192.168.144.182